



// कार्यालय ज्ञाप //

विश्वविद्यालय में कार्यरत् गैर-शैक्षिक कार्मिकों द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारी/विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित अग्रसारित न कराकर सीधे कुलसचिव कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाता है।

अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत् समस्त गैर-शैक्षिक कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारी/विभागाध्यक्ष (जिसके साथ सम्बद्ध हों) से संस्तुति सहित अग्रसारित कराए जाने के पश्चात् ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक- 324/कु०कै०कार्या०/DSMNRU/2016-17 दिनांक 10 जनवरी 2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, कुलपति विश्वविद्यालय को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
4. समस्त गैर-शैक्षिक कार्मिक विश्वविद्यालय।
5. गार्ड फाइल

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव